

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या 875(1) / आठ-वि0भू0अ0अ0 / उन्नाव / 2021

दिनांक 11/07/2021

विज्ञप्ति

उ0प्र0एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू0पी0डा0) के पत्रांक 849/यूपीडा 21/2055/भू-अर्जन दिनांक 03.06.2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार भूमि का अधिग्रहण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं नियमावली 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यन्त श्रम एवं समय साध्य है जिसे तत्काल प्रारम्भ किये जाने हेतु उक्त नियमावली के अध्याय 2 नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में वर्णित प्राविधान के अनुसार सामाजिक समाघात के अध्ययन के लिए संस्था का चयन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु जनपद उन्नाव में अधिग्रहीत की जाने वाली तहसील/ग्रामवार प्रस्तावित भूमि की सूची प्रारूप-18 जनपद के समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु पृथक से संलग्न है।

उपरोक्त भूमि का विवरण सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। सम्बन्धित सामाजिक समाघात के अध्ययन के लिए इच्छुक संस्था अपना आवेदन etender.up.nic.in पर कर सकते हैं तथा हार्ड कापी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उन्नाव के समक्ष पंजीकृत डाक द्वारा अथवा बन्द लिफाफा में दिनांक 27.07.2021 तक प्रस्तुत कर सकती है। विज्ञप्ति से सम्बन्ध में जानकारी जनपद की वेब साईट unnao.nic.in पर भी अवलोकित की जा सकती है।
संलग्न :- यथोपरि ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव।

संख्या सम दिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) सी-13 द्वितीय तल पर्यटन भवन विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
2. जिला सूचना अधिकारी उन्नाव को जनपद की वेब साईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
3. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक हिन्दुस्तान व दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्र में तत्काल न्यूनतम किन्तु पठनीय आकार में प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की 10-10 प्रति अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने हेतु।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव।

कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव।

संख्या 875 / आठ-वि0भू0अ0अ0 / उन्नाव / 2021

दिनांक 11-07-2021

विज्ञप्ति

उ0प्र0एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यू0पी0डा0) के पत्रांक 849/यूपीडा 21/2055/भू-अर्जन दिनांक 03.06.2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार भूमि का अधिग्रहण भूमि-अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं नियमावली 2016 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अत्यन्त श्रम एवं समय साध्य है जिसे तत्काल प्रारम्भ किये जाने हेतु उक्त नियमावली के अध्याय 2 नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में वर्णित प्राविधान के अनुसार सामाजिक समाघात के अध्ययन के लिए संस्था का चयन एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु जनपद उन्नाव में अधिग्रहीत की जाने वाली तहसील/ग्रामवार प्रस्तावित भूमि की सूची प्रारूप-18 जनपद के 02 समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने हेतु पृथक से संलग्न है।

उपरोक्त भूमि का विवरण सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। सम्बन्धित सामाजिक समाघात के अध्ययन के लिए इच्छुक संस्था अपना आवेदन etender.up.nic.in पर कर सकते हैं तथा हार्ड कापी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उन्नाव के समक्ष पंजीकृत डाक द्वारा अथवा बन्द लिफाफा में दिनांक 27.07.2021 तक प्रस्तुत कर सकती है। विज्ञप्ति से सम्बन्ध में जानकारी जनपद की वेब साईट unnao.nic.in पर भी अवलोकित की जा सकती है।
संलग्न :- यथोपरि ।

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
उन्नाव।

आवेदन पत्र का आमंत्रण

उ0प्र0 एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ द्वारा संचालित गंगाएक्सप्रेसवे परियोजना हेतु निम्नवत् 76 ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है :-

| क्रमांक | ग्राम का नाम | तहसील का नाम | जनपद | प्रस्तावित क्षेत्रफल |
|---------|--------------|--------------|--------|----------------------|
| 1 | सोनिक | सदर | उन्नाव | |
| 2 | सराय कटियांन | सदर | उन्नाव | 4.5932 |
| 3 | रूपऊ | सदर | उन्नाव | 0.6944 |
| 4 | अलगनगढ | सदर | उन्नाव | 1.348 |
| 5 | मझखोरिया | सदर | उन्नाव | 1.3733 |
| 6 | बडौरा | सदर | उन्नाव | 2.4228 |
| 7 | नेवरना | सदर | उन्नाव | 0.2374 |
| 8 | मुर्तजानगर | सदर | उन्नाव | 1.7895 |
| 9 | पवई | सदर | उन्नाव | 5.7737 |
| 10 | भैसई कोयल | सदर | उन्नाव | 3.3015 |
| 11 | तारगांव | सदर | उन्नाव | 1.6805 |
| | | | | 4.7608 |

| | | | | |
|----|------------------|---------|--------|--------|
| 12 | पडरीकला | सदर | उन्नाव | 15.000 |
| 13 | ओरहर | सदर | उन्नाव | 4.000 |
| 14 | भौसई चतुर | सदर | उन्नाव | 0.0000 |
| 15 | शहजादपुर | सदर | उन्नाव | 0.0326 |
| 16 | अम्बहरा | सफीपुर | उन्नाव | 0.1007 |
| 17 | उदशोह | सफीपुर | उन्नाव | 0.3279 |
| 18 | कन्हऊ | सफीपुर | उन्नाव | 0.813 |
| 19 | खरगौरा | सफीपुर | उन्नाव | 1.9605 |
| 20 | गौरियाकला | सफीपुर | उन्नाव | 0.5117 |
| 21 | टिकाना | सफीपुर | उन्नाव | 0.6164 |
| 22 | नवाबाद ग्रण्ट | सफीपुर | उन्नाव | 0.7604 |
| 23 | पेसारी | सफीपुर | उन्नाव | 0.817 |
| 24 | मुण्डा | सफीपुर | उन्नाव | 0.1023 |
| 25 | रहीमाबाद | सफीपुर | उन्नाव | 0.8337 |
| 26 | रैयामऊ | सफीपुर | उन्नाव | 0.565 |
| 27 | लहबरपुर | सफीपुर | उन्नाव | 0.207 |
| 28 | शेरपुर कला | सफीपुर | उन्नाव | 0.7671 |
| 29 | फतेहाबाद ग्रण्ट | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 30 | लछिमनगंज | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 31 | हबीबनगर | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 32 | देवगांव | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 33 | बृजपालपुर | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 34 | बारीधाना | सफीपुर | उन्नाव | 0.0000 |
| 35 | सादाबाद | सफीपुर | उन्नाव | 0.155 |
| 36 | हरईपुर | बांगरमऊ | उन्नाव | 2.9699 |
| 37 | महोलिया | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.0124 |
| 38 | ब्योलीइस्लामाबाद | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.0000 |
| 39 | कैथौली | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.0824 |
| 40 | भटौली | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.2508 |
| 41 | बेहटा मुजावर | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.099 |
| 42 | रानीपुर गट | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.7391 |
| 43 | अरगूपुर | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.6636 |
| 44 | तमोरिया बुजुर्ग | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.7238 |
| 45 | तमोरिया खुर्द | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.007 |
| 46 | शादीपुर | बांगरमऊ | उन्नाव | 0.4283 |
| 47 | पुरवा | हसनगज | उन्नाव | 0.1200 |
| 48 | सलेमपुर | हसनगज | उन्नाव | 2.3750 |
| 49 | माखी | हसनगज | उन्नाव | 1.6078 |
| 50 | बिरसिंहपुर | हसनगज | उन्नाव | 0.6474 |
| 51 | जगल जहानाबाद | हसनगज | उन्नाव | 1.9870 |
| 52 | मवई बृम्हनान | हसनगज | उन्नाव | 2.4940 |
| 53 | कोटरा | हसनगज | उन्नाव | 0.0000 |
| 54 | हरीखेडा | पुरवा | उन्नाव | 0.0807 |
| 55 | ऊँचगांव सानी | पुरवा | उन्नाव | 1.3035 |
| 56 | सरसाँ | पुरवा | उन्नाव | 0.1639 |
| 57 | टिकरिया | पुरवा | उन्नाव | 0.0000 |

| | | | | |
|---------|------------|---------|--------|---------|
| 58 | बिहार | बीघापुर | उन्नाव | 0.937 |
| 59 | गौरा | बीघापुर | उन्नाव | 0.1922 |
| 60 | देवारा | बीघापुर | उन्नाव | 1.4006 |
| 61 | रामखेडा | बीघापुर | उन्नाव | 0.2057 |
| 62 | पुरन्दरपुर | बीघापुर | उन्नाव | 0.053 |
| 63 | मियांगंज | बीघापुर | उन्नाव | 0.0005 |
| 64 | कटहर | बीघापुर | उन्नाव | 0.048 |
| 65 | भाटमउ | बीघापुर | उन्नाव | 5.3545 |
| 66 | अटवट | बीघापुर | उन्नाव | 0.0022 |
| 67 | सलेधू | बीघापुर | उन्नाव | 1.5920 |
| 68 | ममरेजपुर | बीघापुर | उन्नाव | 1.5597 |
| 69 | पनहन | बीघापुर | उन्नाव | 1.1093 |
| 70 | आकमपुर | बीघापुर | उन्नाव | 0.863 |
| 71 | हिनदूपुर | बीघापुर | उन्नाव | 0.1211 |
| 72 | तेवरिया | बीघापुर | उन्नाव | 0.2621 |
| 73 | मवइया | बीघापुर | उन्नाव | 0.5662 |
| 74 | सहिला | बीघापुर | उन्नाव | 1.2216 |
| 75 | मलौना | बीघापुर | उन्नाव | 1.3951 |
| 76 | गढाकोला | बीघापुर | उन्नाव | 0.0000 |
| कुल योग | | | | 89.2078 |

नोट :- उक्त प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल घट या बढ़ भी सकता है।

उक्त भूमि के अर्जन से पूर्व भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन (social Impact Assesment) एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (social Impact Manegement) तैयार करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/अन्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थान/ विश्वविद्यालयों आदि से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमन्त्रित की जाती है।

1- पात्रता/शर्तें

अ- सामाजिक समाघात आकलन (social Impavt Assesment) एवं सामाजिक प्रबंधन योजना (social Impact Manegement) करने हेतु प्रतिष्ठित केन्द्रीय/राज्य सरकार/अर्ध सरकारी/अन्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालयों आदि द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

ब- इच्छुक गैर सरकारी संस्थान प्रश्नगत अधिनियम के कम्पनी/सोसायटी के रूप में पंजीकृत हो अथवा कम से कम पिछले पांच वर्ष पूर्व से किसी अन्य सुरंगत अधिनियम में पंजीकृत हो।

स- संस्थान के पास पर्याप्त मानव संसाधन जिसमें योग्य स्तर के प्रबंधन के लिए उपयुक्त व्यक्ति, जो शीर्ष और मध्यम स्तर के प्रबंधन स्तर पर कुशल कार्य कर रहे हों।

द- संस्थान के पास पेशेवर प्रबंधन, अर्थशास्त्री, समाज शास्त्री/मनोवैज्ञानिक आदि होने चाहिए, जिसका विवरण आवेदन पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा।

य- पूर्व में जिन्होंने सामाजिक समाघात एवं सामाजिक प्रबंधन योजना तैयार किया हो, ऐसी संस्थान को वरीयता दी जायेगी।

2- आवेदन का प्रारूप :- संस्थान द्वारा किये गये आवेदन में संस्थान की संरचना का विवरण शामिल होना चाहिए जो सामाजिक प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार

होगा। आवेदन के साथ सामाजिक प्रभाव अध्ययन या इसी तरह से जुड़े पूर्व में किये गये अध्ययनों का विवरण दिया जाये जिसमें परियोजना के सम्बन्ध में अध्ययन किये जाने सम्बन्धी समय और स्वरूप का विवरण विस्तार से हो।

3- पात्रता का चयन :- प्राप्त कुल आवेदनों का मूल्यांकन संस्थान द्वारा दिये गये विवरण के आधार पर किया जायेगा। इस कार्य हेतु उपलब्ध स्टाफ, कार्यरत विशेषज्ञों तथा प्रस्तावित कार्यक्षेत्र अथवा अन्य प्रकार की परियोजनाओं हेतु किये गये पूर्व अध्ययन को शामिल किया जायेगा। अतः संस्था द्वारा इसका विवरण अवश्य अंकित किया जाये।

4- संस्थान के चयन को निरस्त के लिए किसी भी कारण का बताया जाना अनिवार्य नहीं होगा।

5- इच्छुक संस्थानों के आवेदन पूर्ण विवरण के साथ कार्यालय में अथवा पंजीकृत डाक से दिनांक 27.07.2021 तक निम्न पते पर स्वीकार किये जायेंगे। कार्यालय जिलाधिकारी उन्नाव/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कलेक्ट्रेट उन्नाव/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी उन्नाव।

6- आवेदक द्वारा तकनीकी मूल्यांकन किया जायेगा। वित्तीय मूल्यांकन हेतु सामाजिक समाघात आकलन अध्ययन किये जाने के लिए संस्थान द्वारा लिये जाने वाले शुल्क का विवरण (कर सहित) अलग सीलबन्द लिफाफे में दिया जाना होगा। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

7- केन्द्र/राज्य सरकार के सरकारी/अर्द्धसरकारी उपकरण के अतिरिक्त एम०एस०एम०ई० के तहत पंजीकृत फर्मों व छूट प्राप्त फर्मा को ई०एम०डी० एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी से छूट प्राप्त होगी। ई०एस०डी० एवं परफारमेन्स सिक्योरिटी नोडल अधिकारी मंगल एक्सप्रसवे/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के नाम से देय होगी तथा डिमांड ड्राफ्ट अथवा फिक्सा डिपॉजिट के रूप में देय होगी।

8- आवेदक को ई०एम०डी० के रूप में प्रथम एक लाख तक रुपये 1500/- व उसके बाद प्रत्येक एक लाख के लिए रू० 1,000/- जमा करना होगा।

9- सफल आवेदक को परफारमेन्स सिक्योरिटी के रूप में कुल धनराशि का 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि के रूप में जमा करना होगा।

नोट :- उक्त समस्त कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वास्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के अन्तर्गत की जायेगी तथा प्रस्तावित भूमि का पूर्ण विवरण तथा खसरा/क्षेत्रफल/प्रभावित व्यक्ति/मानचित्र आदि का विवरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय, उन्नाव के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व एन०आई०सी० की वेबसाइट ETENDERUPNIN पर देखा जा सकता है।

अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
उन्नाव।

आवेदन का प्रारूप (टेक्निकल बिड)

1. संस्थान का नाम -
2. संस्थान का प्रकार -
कम्पनी/समिति/विश्वविद्यालय/अन्य निर्दिष्ट संस्था
3. शासकीय नियंत्रण की स्थिति -
4. संस्थान के पंजीकरण का विवरण -
(प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाये)
5. कार्मिकों का विवरण

नियमित कर्मचारीगण

संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मचारीगण

6. शीर्ष/मध्यम प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों, कार्यरत विशेषज्ञ और समूह के सदस्यों का विवरण, जिन्हें प्रस्तावित कार्य हेतु लगाया जायेगा -

| नाम | पदनाम | योग्यता | कार्यनिभव |
|-----|-------|---------|-----------|
| | | | |

7. विगत पांच वर्ष में किये गये अध्ययन का विवरण -

8. सम्पर्क विवरण

| दूरभाष नम्बर | मोबाइल नम्बर | ई-मेल का पता |
|--------------|--------------|--------------|
| | | |

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
उन्नाव।

आवेदक का हस्ताक्षर

(फाईनेन्सियल बिड)

1. संस्थान का नाम व पता व जी0एस0टी0नं0 -
2. संस्थान का प्रकार
कम्पनी/समिति/विश्वविद्यालय/अन्य निर्दिष्ट संस्था
3. फर्म की दरें (प्रति हे0)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
उन्नाव।

आवेदक का हस्ताक्षर